

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

ase No	Complaint or report madeon
ame and address of the Complainant	***************************************
	the many the state of the second seco
	4 B. A. D. Comment of the state
·······	***************************************
	age, caste and address of accused
SS W/23 10 ZINAS	· NE
1-10-1EX1517-21-11	
1 co cak 10 car 1/ 1/11	"7/
The offence complains	nt of, and date of, its alleged commission
The second secon	
∧ आप पर आरोप	है कि दिनांकर १/15/12 गुकाम
Vous worthing (1)	है कि दिनांकर १/15/12 गुकाम के पान पर बिना वैध अनुकारित के अपने
	गेतल 22 शराब विकथ/परिवहन हेतु रखी।
[개요] 프레이크 (Ball III) 전 이 전 2 전 1일 Balan (Bill III) - 1 전 2 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전	ो अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराधं कारित किया।	
क्या आपका उक्त 3	प्रपराघ स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
설탕 실천을 걸려지는 경기 보다	
	cused and his examination (if any) attack force our sur-
अपराध स्थीकार है। यून दण्ड से दण्डित कर	ो का निवेदन है।

इद्रामील-

//निर्णय// (आज दिनांक 19/12/17 को घोषित)

- 01. <u>अभियुं</u>क्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34 1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौंजूद नहीं हैं।
 - - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 92 व वारिशेटर/पाव/बोतल 92 शराव शराव वार्ति 92 व वारिशेटर/पाव/बोतल 92 शराव शराव प्रयाद नियमानुसार मूल्यहीन एवं मानव जपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चाद नियमानुसार मूल्यहीन एवं मानव जपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अयोक स्थायालय के आदेश कर साम की जाते। अधील अधील अधील स्थायालय के आदेश कर

The House our and

水平。